E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2025; 7(1): 43-46
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 03-12-2024
Accepted: 07-01-2025

भवानी मल खटीक
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय, बून्दी, राजस्थान, भारत

डॉ. बी.एल. सैनी
प्रोफेसर, शोध पर्यवेक्षक, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान, भारत

Corresponding Author:
भवानी मल खटीक
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय, बून्दी, राजस्थान, भारत

भारत में महिला शिक्षा एवं राजनीतिक चेतना

भवानी मल खटीक, बी.एल. सैनी

DOI: https://doi.org/10.33545/26646021.2025.v7.i1a.427

सारांश
शिक्षा, राजनीतिक चेतना से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है अर्थात् शिक्षा एवं राजनीतिक चेतना में सह–सम्बन्ध है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राजनीतिक चेतना का होना नितान्त आवश्यक है। साथ ही महिलाओं की वर्तमान राजनीतिक स्तर अर्थात उनकी भागीदारी एवं सत्ता के निर्धारण में महिलाओं को समानता एवं स्वतंत्रता किस प्रकार की है? अगर नही है तो महिलाओं की भूमिका को समाज के द्वारा सम्माननीय स्थिति कैसे प्रदान की जाए? इसके लिए महिलाओं की राजनीति में अत्यधिक भागीदारी होनी चाहिए। आज समाज की लगभग आधी संख्या महिलाओं की होने के बावजूद भी उनकी राजनीति में सहभागिता का स्तर लगभग नगण्य है। इसका मूल कारण उनका अशिक्षित व कम पढ़ा–लिखा होना है। महिलाओं को शिक्षा व राजनीतिक जीवन में समुचित स्थान दिलाया जाना आधुनिक समय की महती आवश्यकता है। राजनीतिक सहभागिता से अभिप्राय मात्र वोट डालना नहीं वरन् सत्ता में भागीदारी, दल व सरकार में सभी स्तरों पर निर्णय लेने या नीति–निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदारी निभाने से है। जिसके बाद महिला एवं उनके परिवार, गांव, समाज, राज्य व देश का विकास सम्भव होगा।

कुटशब्दः राजनीतिक चेतना, भागीदारी, परिवार, शिक्षा, सशिक्तिकरण, सह–सम्बन्ध

प्रस्तावना
भारत की निरक्षर और साक्षर महिलाओं को समझना आवश्यक है कि निरक्षर महिलाएँ न तो ठीक प्रकार से सोच सकती हैं और न ही स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय ले सकती हैं। वे जाति एवं समुदाय से भावात्मक रूप से जुड़ी हुई होती हैं एवं उन्हीं से प्रभावित होती हैं। परन्तु पढ़ी–लिखी महिलाएँ इन सबसे ऊपर उठकर कार्य करती हैं। ऐसी स्त्रियाँ भावावेश में कोई कार्य नहीं करती हैं। शिक्षित स्त्रियाँ बुद्धि का उपयोग करती हैं। उदाहरणार्थ एक अनपढ़ स्त्री बिना सोचे–समझे किसी के बहकावे में आकर मतदान कर सकती हैं परन्तु पढ़ी–लिखी स्त्री सोच–समझकर ही मतदान करेगी। वह मतदान करने से पूर्व सुनिश्चित कर लेगी कि किसके पक्ष में मत देना राष्ट्र के हित में होगा। प्रायः ऐसी स्त्रियां उन्हीं के पक्ष में मतदान करती हैं जो स्त्रियों से सम्बन्धित समस्याओं के प्रति जागरूक होते हैं। मतदाताओं से सदैव अपेक्षा रही हैं कि वे अपना अमूल्य मत, मुद्दों ;ेप्नमेद्ध को ध्यान में रखते हुए करें। जिससे एक ऐसे समाज का निर्माण किया जा सके जो स्त्रियों की समस्याओं के प्रति जागरूक हो।

महिला शिक्षा
शिक्षा सामाजीकरण का एक महत्वपूर्ण घटक है। शिक्षा अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जिससे दायित्व बोध एवं निर्वहन की भावना जाग्रत होती है। जागरूकता, राजनीतिक पहलू का एक महत्वपूर्ण आयाम है। अतः शिक्षा के विभिन्न आधारों में राजनीति का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा राजनैतिक व्यवस्था को बनाये रखने एवं उसे स्वस्थ रूप से विकसित होने में योगदान देती है। राजनीति सदैव ही पुरूष प्रधान रही है। सदैव ही महिलाओं को हाशिए पर रखा गया है। समाज में महिलाओं के कन्धों पर हमेशा घर–परिवार संभालने का दायित्व रहा है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर भारतीय इतिहास और समाज में महिलाओं की स्थिति से भली–भांति परिचित थे। इसलिए उन्होंने महिलाओं के सर्वागींण विकास को ध्यान में रखा और संविधान रचना के समय महिलाओं को पुरूषों के समान वे समस्त अधिकार दिये जो मानव के विकास के लिए अनिवार्य माने जाते है। इनमें समानता, स्वतंत्रता के अधिकारों सहित राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल था जिससे कि महिलाएं राजनीतिक रूप से सशक्त होकर अपना विकास कर सकें। इसके लिए यह आवश्यक है कि महिलाएँ शिक्षित हों क्योंकि शिक्षित महिलाएँ ही आत्मनिर्भर होकर समानता और सम्मान पा सकती हैं। लेकिन भारत देश में महिला शिक्षा का अस्तर आज स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद भी कोई वेहतर सुधार नही है जो विचारणीय है इसको समझने के लिए सारणी–01 में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 1: भारत में महिला साक्षरता दर का प्रतिशत (1951–2021)

जनगणना वर्ष	व्यक्ति	पुरूष	महिला	महिला–पुरूष साक्षरता दर में अन्तर
1951	18.33	27.16	8.86	18.30
1961	28.3	40.4	15.35	25.05
1971	34.45	45.96	21.97	23.08
1981	43.57	56.38	29.76	26.62
1991	52.21	64.12	39.21	24.84
2001	64.83	75.26	53.67	21.59
2011	74.04	82.14	65.46	16.62
2021	N/A	N/A	N/A	N/A

* N.A. - not available

स्रोतः रजिस्ट्रार ऑफ सेन्सस, प्रोविजनल पापुलेशन, 2011

सारणी संख्या–01 से यह ज्ञात होता है कि वर्ष 1951 से निरन्तर साक्षरता दर में वृद्धि हो रही है। 1991 के दशक में महिला साक्षरता दर 39.21 प्रतिशत थी तो वर्ष 2001 में यह बढ़कर 53. 67 प्रतिशत हो गई। वर्ष 1991 की तुलना में वर्ष 2001 में यह 14.46 प्रतिशत बढ़ी तो वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में यह वृद्धि 11.79 प्रतिशत हो गयी है परन्तु आज भी महिला शिक्षा का प्रतिशत पुरूषों के बराबरी नही करती। इसको अभी आगे ले जाना सरकार के लिए एक चुनौती है क्या इसे पुरूषों के बराबर करने में 75 वर्ष और लगेंगे? फिर महिलों की भूमिका राजनीत चेतना में बेहतर पाने की इच्छा कैसे कर सकते हैं।

महिलाओं में राजनीत चेतना

राजनीतिक चेतना का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। इससे न केवल राजनीतिक व्यवस्था, राज्य सम्बन्धी ज्ञान या अनेक संस्थाओं की जानकारी मिलती है इसके साथ ही इसमें यह भी बतलाया जाता है कि देश की विभिन्न संस्थाएं एवं पदाधिकारी क्या कार्य करते हैं और वह व्यक्ति व समाज के लिए कितना उपयोगी एवं लाभदायक हैं। राजनीतिक चेतना के लिए राजनीतिक व्यवस्था का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। राजनीतिक चेतना से ही यह पता चलेगा कि हमारी संसद, विधानसभा एवं इनसे जुड़े अनेक पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री क्या कार्य करते हैं और उसका राष्ट्र के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है।

मध्यकाल से ही महिलाएँ घर की चहारदीवारी में कैद होकर रहती आ रही हैं। वही वर्तमान समय में, वे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सहभागी होकर जागरूक भी हो रही हैं। शिक्षा के विस्तार के कारण महिलाओं की राजनीतिक स्थिति में सुधार आया है। वर्तमान समय में, वे राजनीतिक कार्यों में बढ़–चढ़कर हिस्सा ले रही हैं जिससे राजनीतिक कार्यों के प्रति उनमें चेतना जाग्रत हुई है। यह सर्वविदित है कि जबतक महिलाओं का विकास नहीं होगा तबतक की मनव के सोच में महिला शिक्षा के प्रति चेतना जाग्रत नही होगी। इसके उपरांत ही महिला राजनीत चेतना बलवती होगी जिससे सम्पूर्ण परिवार, समाज, राज्य, देश एवं विश्व का विकास होगा। इसलिए महिला विकास हेतु विश्व, राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। महिला विकास के इन प्रयासों को व्यावहारिक रूप प्रदान करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1975–1985 को 'महिला दशक' घोषित किया। भारत में सन् 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। भारत में भी पंचायती राज को संवैधानिक स्तर पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम महिला विकास के क्षेत्र में एक प्रशंसनीय पहल है। जिसके तहत महिलाओं को एक–तिहाई स्थान आरक्षित करने सम्बन्धित प्रावधान किया गया। इस अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, महिलाओं के एक तिहाई पद आरक्षित करना अनिवार्य है। अतः महिलाओं में राजनीतिक चेतना आना स्वाभाविक है। राजनीतिक चेतना के कारण ही आज महिलाएँ राजनीतिक विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु टी.वी., रेडियो, अखबार, पत्र–पत्रिकाएं, सोशल साइट्स/मीडिया का उपयोग करती हैं। मार्च 2008 में राजस्थान में वसुन्धरा राजे सिंधिया द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई। इसी आधार पर स्थानीय स्तर पर महिलाएं विभिन्न पदों पर आसीन हुई। किन्तु सामाजिक बन्धनों, प्रथाओं, पुरूष प्रधान समाज आदि अनेक वचनों के कारण वे अपनी प्रतिभा का पूर्ण रूप से प्रदर्शन नहीं कर पाई। जिस कारण महिलाएं राजनीत में आज भी पिछे है जिसका विवरण सारणी–02 में बताया गया है–

सारणी 2: लोकसभा में महिलाओं की संख्यात्मक स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	कुल सदस्य	महिला सदस्यों की संख्या	कुल सांसदों में महिलाओं का प्रतिशत
1	1952	499	22	4.41
2	1957	500	27	5.40
3	1962	503	34	6.76
4	1967	523	31	5.93
5	1971	521	22	4.22
6	1977	544	19	3.29
7	1980	544	28	5.15
8	1984	544	44	8.90
9	1989	517	27	5.22
10	1991	544	39	7.17
11	1996	543	40	7.18
12	1998	543	44	8.11
13	1999	543	49	9.02
14	2004	543	45	8.03
15	2009	543	59	10.86
16	2014	543	62	11.40
17	2019	543	78	14.40
18	2024	543	74	13.60

स्रोतः इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया, 2024

उपरोक्त सारणी–02 के अध्ययन से यह पता चलता है कि पहली लोकसभा में 22 महिलाएं जीत कर आयी थी जो सदन की कुल संख्या का 4.41 प्रतिशत थी। 1957 में दूसरी लोकसभा में 27 महिलाएं चुनकर आई थी जो कुल संख्या का 5.40 प्रतिशत थी , वहीं 1962 में तीसरी लोकसभा में 34 महिलाएं जीत कर आई जो 6.76 प्रतिशत थी । चौथी लोकसभा में 31 महिलाएं (5.93 प्रतिशत) जीत कर आई तो पांचवी लोकसभा में 22 महिला सदस्यों (4.22 फीसदी) ने जीत दर्ज की । वहीं, छठी लोकसभा में 19 महिलाएं (3.29 फीसदी), सातवीं लोकसभा में 28 महिलाएं (5.15 प्रतिशत), आठवीं लोकसभा में 44 महिलाएं (8.90 फीसदी), नौवीं लोकसभा में 28 महिला सांसद (5.22 प्रतिशत) जबकि दसवीं लोकसभा में 39 महिलाएं (7.17 प्रतिशत) सांसद चुनकर आई । 11वीं लोकसभा में 40 महिलाएं जीतकर आई जो संख्याबल का 7.18 प्रतिशत थी तो 12वीं लोकसभा में 44 महिलाएं (8.11 प्रतिशत) आई। 13वीं लोकसभा में 49 महिलाएं चुनकर आई जो कुल संख्याबल का 9.02 प्रतिशत थी जबकि 14वीं लोकसभा में 45 महिलाएं चुनकर आई जो 8.3 प्रतिशत थी। 15वीं लोकसभा में 59 महिलाएं चुनकर आई जो 10.86 प्रतिशत थी, वहीं 16वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 62 जबकी प्रतिशत 11.40 थी, 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 78 जबकी प्रतिशत 14.40 थी जो अबतक का सबसे अधिक है लेकिन पुनः 18वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या घटकर 74 जबकी प्रतिशत 13.60 हो गयी है। इसके अलावा राज्य सभा में महिलाओं की संख्यात्मक स्थिति को सारणी–03 में दिया गया है जो निम्न है–

सारणी 3: राज्य सभा में महिलाओं की संख्यात्मक स्थिति

वर्ष	कुल सदस्य	महिला सदस्यों की संख्या	महिलाओं का कुल प्रतिशत
1952	219	16	7.3
1957	237	18	7.6
1962	238	18	7.6
1967	240	20	8.3
1971	243	17	7.0
1977	244	25	10.2
1980	244	24	9.8
1985	244	28	11.4
1990	245	38	15.5
1996	223	20	9.0
1998	223	19	8.6
2004	245	27	11.1
2009	245	22	9.0
2014	245	31	12.6
2019	238	25	10.5
2024	224	24	10.7

स्रोतः इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया, 2024

उपरोक्त सारणी–03 के अध्ययन से यह पता चलता है कि वर्ष 1952 की लोकसभा में 16 महिलाएं जीनका कुल प्रतिशत 7.3 थी तथा वर्ष 1957 की लोकसभा में 18 महिलाएं जीनका कुल प्रतिशत 7.6 थी। वर्ष 1962 की लोकसभा में 18 महिलाएं जीनका कुल प्रतिशत 7.6 थी। वर्ष 1967 की लोकसभा में 20 महिलाएं जीनका कुल प्रतिशत 8.3 थी। वर्ष 1971 की लोकसभा में 17 महिलाएं जीनका कुल प्रतिशत 7.0 थी। वर्ष 1977 की लोकसभा में 25 महिलाएं जीनका कुल प्रतिशत 10.2 थी। वर्ष 1980 की लोकसभा में 24 महिलाएं जीनका कुल प्रतिशत 9.8 थी। वर्ष 1985 की लोकसभा में 28 महिलाएं जीनका कुल प्रतिशत 11.4 थी। जबकि वर्ष 1990 की लोकसभा में 38 महिलाएं जीनका कुल प्रतिशत 15.5 (सबसे अधिक) थी। वर्ष 1996 की लोकसभा में 20 महिलाएं जीनका कुल प्रतिशत 9.0 थी। वर्ष 1998 की लोकसभा में 19 महिलाएं जीनका कुल प्रतिशत 8.6 थी। वर्ष 2004 की लोकसभा में 27 महिलाएं जीनका कुल प्रतिशत 11.1 थी। वर्ष 2009 की लोकसभा में 22 महिलाएं जीनका कुल प्रतिशत 9.0 थी। वर्ष 2014 की लोकसभा में 31 महिलाएं जीनका कुल प्रतिशत 12.6 थी। वर्ष 2019 की लोकसभा में 25 महिलाएं जीनका कुल प्रतिशत 10.5 थी। वर्तमान वर्ष 2024 की लोकसभा में 24 महिलाएं जीनका कुल प्रतिशत 10.7 थी जो वर्ष 1990 के प्रतिशत 15.5 से कम है अर्थात पहले से भी कम होता जा रहा है। उपरोक्त अध्ययन से यह पता चलता है कि स्थिती अभी संतोषजनक नही है।

महिलाओं की राजनीतिक स्थिति

भारतीय लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। किसी भी राष्ट्र के समग्र एवं यथेष्ट विकास हेतु वहाँ की महिलाओं का राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा से जुड़ा होना आवश्यक है। यह तभी सम्भव है जब राष्ट्र की महिलाएं सशक्त एवं सबल होंगी। ऐसा कहा भी गया है 'यत्र नार्यस्तू पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः'। अतः स्पष्ट है कि वही समाज एवं राष्ट्र समृद्ध होगा जहाँ महिलाओं का सम्मान होगा तभी वे (महिलाएं) जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सबल एवं आत्मनिर्भर होंगी यह तभी सम्भव होगा जब वे शिक्षित होंगी।

यदि हमें महिलाओं को सशक्त बनाना है तो राजनीति में उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। आज हम मतदान के स्तर पर तो महिलाओं को समानता देने की बात करते हैं किन्तु जब सत्ता में वास्तविक रूप से पद देने की बात आती है तब यह भागीदारी न्यून एवं निरर्थक प्रतीत होती है। जहाँ तक महिलाओं का पुरूषों के समान राजनीतिक रूप से सहभागी होने का प्रश्न हैं यह वर्तमान समय में चिन्तन का विषय है। वर्तमान युग प्रजातंत्र का युग है। प्रजातंत्र की सफलता तभी सार्थक होगी जब महिलाओं एवं पुरूषों को समान अधिकार वास्तविक रूप से प्राप्त होंगे। किन्तु व्यावहारिक आधार पर देखा जाए तो विश्व के सभी देशों में वहाँ की संसद में पुरूषों की तुलना में महिलाओं का नेतृत्व अधिकांशतः नगण्य ही रहा है।

(अ) विदेशों में महिलाओं की भूमिका

फिनलैण्ड दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जहाँ सामाजिक जीवन की सूत्रधार महिलाएं ही हैं। यहाँ की संसद में महिलाओं की संख्या लगभग एक–तिहाई है। यहाँ महिलाओं को मत देने एवं निर्वाचित पदों पर खड़े होने का अधिकार 1906 ई. में दिया गया। उस समय न्यूजीलैण्ड के बाद फिनलैण्ड ही ऐसा देश था जहाँ महिलाओं को मताधिकार दिया गया। इस प्रकार महिलाओं को निर्वाचित पदों पर खड़े होने का अधिकार देने वाले देशों में फिनलैण्ड विश्व का प्रथम देश है। अमेरिका में महिलाओं को मत देने एवं राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी का अधिकार प्राप्ती हेतु सत्तर वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। अन्ततः 1920 ई. में उन्हें यह अधिकार प्राप्त हुआ। यह हमारे लिए अति हर्ष का विषय है कि भारतीय महिलाओं को राजनीति में अपनी भागीदारी हेतु किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़ा। किन्तु विडम्बना तो यह है कि आज के आधुनिक युग में भी सामाजिक रूढ़ियों, अज्ञानता, अशिक्षा आदि के कारण वे इस सुअवसर का समुचित लाभ नहीं ले पाई जो सम्पूर्ण भारत के लिए चिंता का विषय है।

विश्व में कई महिलाओं ने अपने देश के राजनीतिक प्रमुख के रूप में कार्यकुशलता में इतिहास रचा। उदाहरणार्थ : माग्रेट थ्रेचर (ब्रिटेन), गोल्डामायर (मिस्त्र), ग्लोरिया एरोयो (फिलीपीन्स), एन्नीती लू (ताइवान), एनसन चान (हांगकांग), मेगावती सुकर्णोपुत्री (इण्डोनेशिया), खालिदा जिया एवं हसिना वाजेद (बांग्लादेश), बेनजीर भुट्टो (पाकिस्तान), सिरीमाओ भण्डारनायके, चन्द्रिका कुमारतुंगा (श्रीलंका), कोराजोन एक्वीनो। वर्तमान समय में भी हिलेरी क्लिंगटन, अनसांग सू–की, जुलिया राबर्ट्स, एंजेला मर्केल आदि अनेकों महिलाएं अपनी योग्यता का परिचय दे रही हैं।

(ब) भारत में महिलाओं की भूमिका

भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अति प्राचीनकाल से ही राजनीतिक क्षेत्र में अपने राजनीतिक सामर्थ्य को सिद्ध किया। इनमें कैकेयी, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, पन्नाधाय, हजरत महल, लक्ष्मीबाई आदि हैं। स्वतंत्रता आन्दोलन में सरोजनी नायडू, सरला देवी चौधरानी, सुचेता कृपलानी, कस्तूरबा गांधी आदि अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद अनेकों महिलाओं ने प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक भागीदारी के आधार पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति, न्यायाधीश जैसे अनेकों पदों को शोभायमान किया। इनमें इन्दिरा गांधी, प्रतिभा देवी पाटिल के अतिरिक्त अन्य स्त्रियां भी हैं जो विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री पद पर रही हैं। जैसे सुचेता कृपलानी (उत्तरप्रदेश) जयललिता (तमिलनाडू), मायावती (उत्तरप्रदेश), वसुन्धरा राजे (राजस्थान), ममता बनर्जी (पश्चिम बंगाल) तथा आनन्दी बेन पटेल (गुजरात) आदि हैं।

उपरोक्त शोध के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ती के 75वर्षों के पश्चात् भी राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता का स्तर पुरूषों की तुलना में अत्यन्त ही कम है। यह एक विचारणीय प्रश्न है कि महिला राजनीतिक सहभागिता का स्तर इतना कम क्यों है? समानता पर आधारित विकास तभी सम्भव हो पायेगा जब सभी क्षेत्रों में दोनों की समान भागीदारी हों।

निष्कर्ष

भारत में महिला शिक्षा एवं राजनीतिक चेतना के वृहद् विवरण से यह स्पष्ट होता हैं कि प्राचीन काल (ऋवैदिक काल) महिला प्रस्थिति की दृष्टि से स्वर्णिम युग था। शनैः–शनैः उसमें परिवर्तन के साथ महिलाओं की दशा में गिरावट आती गई। जहाँ 19वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु अनेक स्तरों पर प्रयास किये गए जो वर्तमान समय तक भी जारी है किन्तु उसमें वांछित लक्ष्यों की प्राप्ती अभी तक शेष है। यदि यह कहा जाए कि महिलाओं की स्थिति में तभी पूर्ण रूप से सुधार सम्भव है जब वे शिक्षित हों और उनमें पूर्ण रूप से चेतना का विकास हो तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। राजनीतिक क्षेत्र में महिला सक्रिय सहभागिता भी पूर्ण रूप से तभी सम्भव हो पायेगी जब उनमें राजनीतिक चेतना का पूर्णतः ज्ञान हो। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय संस्कृति का पुनः अवलोकन कर राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए।

वर्तमान समय में, महिलाएं सेना में भी शामिल हुई है। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि चाहे माउण्ट एवरेस्ट की चढ़ाई हो या युद्ध का मैदान। वे किसी भी स्तर पर पुरूषों से पीछे नहीं हैं। वे न केवल अपने पारिवारिक दायित्वों का भली प्रकार से निर्वाह कर सकती है अपितु प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान उतनी ही तन्मयता से दे सकती हैं जितना कि पुरूष। वह एक पुत्री, पत्नी, माता की भूमिका को उचित रूप से निर्वाह कर सकती है तो देश की नागरिक होने के नाते, वे देश की प्रगति में भी सहायक है। अतः उनके सामर्थ्य की अवहेलना करना अत्यन्त ही मूर्खतापूर्ण कार्य है। आवश्यकता इस बात की है कि उनके सामर्थ्य एवं योग्यता को पहचाना जाए। उन्हें राजनीतिक स्तर पर भी सशक्त होने के पूर्ण अवसर प्रदान किए जाएं। यह तभी संम्भव है जब महिलाए शिक्षित होंगी और उनमें राजनीतिक चेतना होगी। इसी आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में उनकी सहभागिता बढेगी और उनका राजनीतिक सशक्तिकरण हो सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. सिद्दीकी, फातिमा, (1990), 'पॉलिटिकल विमैन', कनिष्का पब्लिशर्स, न्यू देहली।
2. गुप्त, सं. शिवकुमार, (1999), 'आधुनिक भारत का सामाजिक तथा आर्थिक इतिहास', पंचशील प्रकाशन, जयपुर।
3. गाबा, ओ.पी., (2001), 'राजनीतिक सिद्धान्त की रूपरेखा', के. एल.मलिक एण्ड सन्स प्रा.लि., नई दिल्ली।
4. शर्मा, संगीता, शर्मा, राजेश कुमार, (2005), 'महिला विकास एवं राजकीय योजनाएं', रितु पब्लिकेशन्स, जयपुर।
5. शर्मा, रजनी, (2007), 'शिक्षा सिद्धान्त और आधुनिक भारत में शिक्षा', शिक्षा प्रकाशन, जयपुर।
6. छापडिया, मनोज, (2008), 'महिला शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता', सीरियल्स पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
7. पाठक, आर., पी., (2010), 'आधुनिक भारतीय शिक्षाः समस्याएं एवं समाधान', कनिष्का पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।
8. अग्निहोत्र, रविन्द्र, (2010), 'आधुनिक भारतीय शिक्षाः समस्याएं और समाधान', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
9. गुप्ता, आलोक कुमार, भण्डारी, आशा, (2010), 'विमैन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस', ऑथर्स प्रेस, दिल्ली।
10. वर्मा, एल.एन.एवं दोसी, प्रवीण, (2011), 'भारतीय शिक्षा व्यवस्था एवं प्रशासनतंत्र', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।